

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-345 / 2019

बच्चिया देवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. कोयला खान भविष्य निधि संगठन, अपने क्षेत्रीय आयुक्त, क्षेत्र-II के माध्यम से
2. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, अपने परियोजना अधिकारी, सियाल डी कोलियरी के माध्यम से
3. प्रबंधक कार्मिक, सी०सी०एल० सियाल डी, कोलियरी विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए : श्री नंद किशोर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

सी०सी०एल० के लिए : श्री अमित कुमार दास, अधिवक्ता

03 / 24.01.2020

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अनजाने में वह समय के भीतर टाइप की गई कॉपी दाखिल नहीं कर सका, जिसके लिए डब्ल्यू०पी० (एस०) सं० 4457 / 2017 को खारिज कर दिया गया था और इसलिए वह पुनःस्थापन की प्रार्थना करता है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के सबमिशन के मद्देनजर इस आशय को ध्यान में रखते हुए कि वह आज से एक सप्ताह के भीतर उचित टाइप की गई प्रति

दाखिल करेगा। मैं डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 4457 /2017 को अपनी मूल फाइल में इस शर्त के अधीन पुनःस्थापित करने के लिए इच्छुक हूँ कि वह मुख्य आवेदन में आज से दो सप्ताह के भीतर टाइप की गई कॉपी दाखिल करेगा।

तदनुसार, सिविल विविध याचिका की अनुमति है।

(आनंदा सेन, न्याया0)